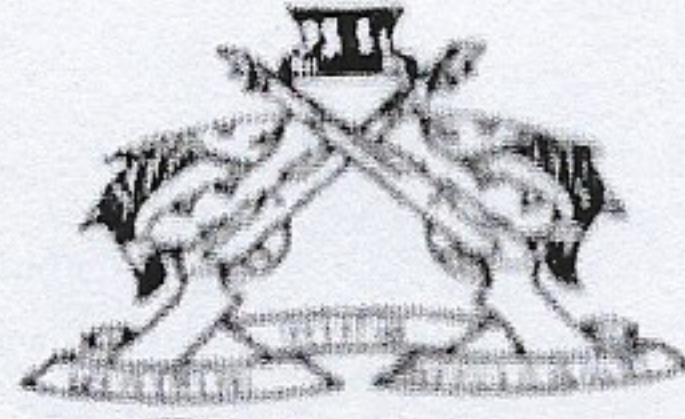




द्वारा-ईमेल / *sec1*

महानगर लखनऊ-226006
फोन : 0522-2337452
फैक्स नं० : 0522-2337453
सीयूजी : 9454400136
Email : sec1@uppac.net

पीएसी मुख्यालय उत्तर प्रदेश

पीएसी-1-336-2020/526
दिनांक: मार्च 10 2023

आदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ के आदेश संख्या: डीजी-चार-स्था०-(156)/2022 दिनांक 24.05.2022 एवं अपर पुलिस अधीक्षक स्थापना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के आदेश संख्या: डीजी-चार-स्था०-(107)/2023/226 दिनांक: 27.02.2023 एवं अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना मुख्यालय के आदेश संख्या डीजी-चार-स्था०-156-2022/303 दिनांक 24.005.2022 के द्वारा ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण व्यवस्था-2022 के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि पूर्ण होने एवं जनहित के आधार पर पीएसी मुख्यालय हेतु स्थानान्तरित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिकों) एवं सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा पीएसी मुख्यालय में आगमन करने के फलस्वरूप इन्हें कालम संख्या-7 में अंकित वाहिनी आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम व पदनाम	पीएनओ	कार्यमुक्ति की तिथि	पीएसी मुख्या० में आगमन की तिथि	कहां से	आवंटित वाहिनी
1	2	3	4	5	6	7
1	हरिगोविन्द पाण्डेय SI(LIPIK)	930600497	03-03-2023	04-03-2023	रेडियो मुख्यालय	पीएसी लखनऊ अनुभाग लखनऊ।
2	कप्तान सिंह यादव SI(LIPIK)	002637772	01-03-2023	02-03-2023	रायबरेली	42वीं वाहिनी पीएसी प्रयागराज।
3	मनोज कुमार ASI(LIPIK)	010710005	27-02-2023	03-03-2023	बदायूं	44वीं वाहिनी पीएसी मेरठ।

2- यह आदेश पीएसी स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त संख्या-पीएसी-1-304-2019(लिपिक) दिनांक 10.03.2023 में लिये गये निर्णय के अनुसार निर्गत किया जा रहा है।

3001
10-03-23

(कृष्ण कांत शुक्ल)

स्टाफ आफिसर, पीएसी मुख्यालय,
उ०प्र० लखनऊ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, पश्चिमी जोन/मध्य जोन/पूर्वी जोन उत्तर प्रदेश।
- 2-पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी, लखनऊ/कानपुर/मेरठ अनुभाग उत्तर प्रदेश।
- 3-पुलिस उपमहानिरीक्षक, "कार्मिक" उ०प्र० लखनऊ।
- 4-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद रायबरेली/बदायूं।
- 5-सेनानायक, 44वीं/42वीं वाहिनी पीएसी, को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आवंटित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के आगमन से सर्व-सम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करे।
- 6-उपरोक्त पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिकों को अनुपालनार्थ।